

प्रेषक,

इन्दरदेव वर्मा,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
डीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।

लखनऊ दिनांक ०४ जुलाई, 2011

उच्च शिक्षा अनुभाग-६

विषय- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-पू.वि.वि./सम्बद्धता/02-45(एक)/2011/5630, दिनांक 23.06.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (ज्यासांशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन तालसर कृषक महाविद्यालय, टकटेऊवा, रामपुर, मऊ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल एवं गृहविज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में उल्लिखित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाता तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

अनु सचिव  
इन्दरदेव वर्मा

संख्या-संख्या 223(1)/सत्तर-6-2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. प्रबन्धक, तालसर कृषक महाविद्यालय, टकटेऊवा, रामपुर, मऊ।
4. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
5. सर्वे कार्यालय।

अनु सचिव  
इन्दरदेव वर्मा